

डाया रसो 658 / मु0अ0 (सुप्रसारण)  
दिनांक 23/9/18

संख्या-जी-518 / आइ0बी0 / 108बी-22ए / अनु0-94 / पूंजीगत / आवंटन / 2018-19  
कार्यालय झाप

प्राधिकृत संख्या-437 / 2018-19

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता  
(आय-व्यय: अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संलग्नक दिनांक: सितम्बर 24, 2018

संख्या- जी-518 / आइ0बी0 / 108बी-22ए / अनु0-94 / पूंजीगत / आवंटन / 2018-19, कार्यालय झाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-106 / 2018 / 1980 / 18-27-सि0-4-06(डब्ल्यू)परि0 / 2018 दिनांक-20.08.2018 तथा शुद्धि-पत्र संख्या-197 / 2018 / 2231 / 18-27-सि0-4-06(डब्ल्यू) परि0 / 2016, दिनांक-17.09.2018 द्वारा जनपद आगरा के खेरागढ़ क्षेत्र में निर्मित गूगावद बंधी एवं रिच्छुआ बंधी की पुनर्स्थापना की परियोजना हेतु लेखाशीर्षक 4702-101-04-0421-24 के अन्तर्गत एकमुश्त प्राविद्यनित बजट की धनराशि में से ₹0 150.00 लाख (₹0 एक करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के फलस्वरूप संबंधित मुख्य अभियन्ता को निम्न तालिका के अनुसार धनराशि प्राधिकृत की जाती है - (आकड़े लाख ₹ में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	अधिकारी का नाम	आवंटित धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 101-सतही जल 04-प्रत्यावतन योजनाएं 0421-जनपद आगरा, मिर्जापुर, चन्दीली एवं सोनभद्र के अन्तर्गत विभिन्न बंधियों की पुनर्स्थापना / सुदृढीकरण की परियोजना 24-वृहत निर्माण कार्य	मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला।	150.00

(₹0 एक करोड़ पचास लाख मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय झाप एवं उपरोक्त शासनादेश दिनांक-20.08.2018 के प्रस्तार-1 के बिन्दु संख्या-1 से 11 तक में शर्तों के अधीन किया जाता है।

कुपाल कुलश्रेष्ठ  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या- जी-518 / (1) / आइ0बी0 / तददिनांक-

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  2. महालेखाकार (लेखा-प्रौद्योगिकी) प्रथम / द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
  3. उच्च सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उक्त शासनादेश के क्रम में।
  4. प्रमुख अभियन्ता, (आयिक) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  5. मुख्य अभियन्ता (आयिक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  6. मुख्य अभियन्ता (अनुकरण) / (आयिक नियोजन) / (सूचना प्रणाली सहायक) / सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  7. मुख्य अभियन्ता (यमुना) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला को शासनादेश की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित है कि आवंटित धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-8 पर वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
  8. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
  9. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (नलकूप) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  10. अधिशासी अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
  11. प्रशासनिक अधिकारी (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
  12. कट फाईल हेतु।

secret

हेमन्त कुमार गुप्ता  
23/9/18

( हेमन्त कुमार गुप्ता )  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई।

की अर्पणा

2 109/18